(वाद सं0–3873/4/4/2020)

07.04.2022

नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद परिवादी, चन्द्रेश्वर कुमार, अनुपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, चन्द्रेश्वर कुमार, सेवानिवृत, पुलिस अवर निरीक्षक, मुंगेर जिला बल को सेवानिवृति के छह वर्षो के बाद तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत होने के बाद भी उसके संशोधित पेंशन का निर्धारण एवं बकाया राशि की निकासी नहीं होने से संबंधित है।

उक्त पर पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ‘‘पुलिस अधीक्षक मुंगेर द्वारा जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के आदेश–सह–ज्ञापांक–2684/पी0–02, दिनांक–05.11.2014 तद्नुसार मुंगेर क्षेत्रादेश सं0–301/2014 के द्वारा श्री चन्द्रेश्वर कुमार, को दिनांक–01.01.2009 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करते हुए दिनांक–01.01.2009 के प्रभाव से वेतन निर्धारित किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में मुंगेर जिलादेश सं0–2129/2020 के द्वारा से0नि0 पु0अ0नि0 चन्द्रेश्वर कुमार को तृतीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करते हुए दिनांक–01.01.2009 के प्रभाव से वेतन निर्धारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा कार्यालय ज्ञापांक–794/सा0शा0, दिनांक–22.02.2021 के माध्यम से DATA Migrate करने हेतु अनुरोध किया गया है। डाटा उपलब्ध होने के उपरान्त श्री कुमार के बकाया अन्तर राशि की निकासी कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा ज्ञापांक–201/पेंशन, दिनांक–28.02.2021 के माध्यम से श्री चन्द्रेश्वर कुमार का पेंशन पुनरीक्षण हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है।’’

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी, चन्द्रेश्वर कुमार, द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के प्रतिवेदन का आंशिक प्रतिवाद किया गया है तथा उनका कथन है कि पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के निर्देश के बाद भी उसके अधीनस्थ कर्मचारी उनकी बात नहीं सुन रहें है।

अब, जबकि पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर द्वारा तृतीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करते हुए परिवादी को दिनांक–01.01.2009 के प्रभाव से वेतन निर्धारित कर DATA Migrate करने का अनुरोध किया जा चुका है तथा DATA उपलब्ध होने के उपरांत परिवादी को बकाया अन्तर राशि के भुगतान का आश्वासन दिया जा रहा है साथ ही साथ परिवादी के पेंशन पुनरीक्षण हेतु महालेखाकर, बिहार, पटना से अनुरोध किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है।

वर्णित स्थिति में पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक